न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
नोलराम बनाम भूमिधारी
दावा सं0– 391/2025
जीसीएमएस– 2025/859

02.01.26

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। प्रकरण का सार इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी का सही नाम **नोलाराम पुत्र मानाराम** है, परन्तु राजस्व ग्राम भोपतपुरा स्थित भूमि ख0नं0 1784 ता 1788, 1794, 1803, 1820, 1821, 1823 कुल किता 10 कुल रकबा 17.34 हैक्टे0 में 3/16 हिस्से में वादी का गलत नाम **नवलराम पुत्र मानाराम** अंकित कर दिया। अतः राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम **नोलाराम पुत्र मानाराम** दुरुस्त किया जावें। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में पैन कार्ड, पेंशन पीपीओ, रोडवेज पास, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जमाबन्दी की प्रतियां पेश की है जिसमें प्रार्थी का नाम **नोलाराम पुत्र मानाराम** अंकित है। पत्रावली में दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का कथन किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **नवलराम पुत्र मानाराम** अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही नाम **नोलाराम पुत्र मानाराम** है की पुष्टि पैन कार्ड, पेंशन पीपीओ, रोडवेज पास, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, जमाबन्दी से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भोपतपुरा स्थित भूमि ख0नं0 1784 ता 1788, 1794, 1803, 1820, 1821, 1823 कुल किता 10 कुल रकबा 17.34 हैक्टे0 में 3/16 हिस्से के राजस्व रिकार्ड में दर्ज **नवलराम पुत्र मानाराम** के स्थान पर **नोलाराम पुत्र मानाराम** दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा समेकित कर अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

02/01/26
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रींगस

उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)